

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

सीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
ण संख्या:- 33/2023

तारीख दायर:-01.06.2023
तारीख निर्णय:-25.03.2025

1. श्री अर्जुन पिता अमरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता केशा गरासिया निवासी कोट/काडा तहसील झाडोल।
2. श्री लालुराम पिता रामा गरासिया निवासी कोट/काडा तहसील झाडोल।
3. श्री डायला पिता वक्ता गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
4. श्री हकरा पिता गुला गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
5. श्री सैलाराम पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
6. श्री थावरा पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
7. श्री होमा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
8. श्री नका पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
9. श्री देवा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
10. श्री मुर्जन पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
11. श्री सुन्दर पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
12. श्री किशन पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
13. श्री चन्दन पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- भज्जालाल पटेल

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 242 रकबा 0.1500, 829/2 रकबा 0.2300, 830/171 रकबा 0.0500, 831/497 रकबा 0.0300 कित्ता 04 कुल रकबा 0.4600 है 0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर



की मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 242
रकबा 0.1500, 829/2 रकबा 0.2300, 830/171 रकबा 0.0500, 831/497 रकबा 0.0300 किता 04
रकबा 0.4600 है। भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का
देश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय
कल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा मौखिक रूप से पत्थरगढी किये जाने की
हमति जाहिर की। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी
अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
स्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार
गस्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने
आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना
चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी
किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार
किया जाता है एवं कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया की आराजी
नम्बर 242 रकबा 0.1500, 829/2 रकबा 0.2300, 830/171 रकबा 0.0500, 831/497 रकबा 0.
0300 किता 04 कुल रकबा 0.4600 है। भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति
में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु
तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला उदुपूर